ख

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मोहनराम वगैरा बनाम राज लक्ष्मी इस्ट्रस्टीज
धारा 136
प्रकरण सख्या 118 / 2021

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4/2022

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 118 / 2021 मोहनराम वगैरा बनाम राज लक्ष्मी इस्ट्रस्टीज अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम सरेचा तहसील लुणी के खसरा नम्बर 34 व 35 कुल रकबा 20.01 बीधा ग्राम सरेचा मे केनिया वल्द भबूता का नाम प्रार्थीगण के जरिये पुर्नस्थपित किये जाने व अप्रार्थी सख्या 01 का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव / मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई

तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक / भू.अ / 2022 / 1838 दिनाक 18.04. 2022 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा वक्त बदोबस्त ग्राम सरेचा के खसरा नम्बर 34 व 35 मे कैनिया वल्द भबूता के नाम दर्ज है जमाबन्दी सवत 2026–2029 मे इन्दजा नामान्तरकरण सख्या 104 जरिये उक्त खसरे भूरसिह नरपतसिह पुत्र डुगरसिह जाति राजपूत निवासी सरेचा के नाम दर्ज है। तथा सलग्न जमाबन्दी सवत 2071–2074 मे इन्द्राज नामान्तरकरण सख्या 1183 जारिये बेयान से खसरा सख्या 34 / 1 रकबा 10.01 बीधा अप्रार्थी सख्या 01 का नाम दर्ज हुआ के द्वारा अमलदरामद होने से रेकार्ड दुरुस्ती नही किया जाने की अनुशाषा तहसीलदार लूणी द्वारा की गई तथा इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है।

अत– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं प्रकरण 136 के तहत रेकर्ड दुरुस्ती का नही बनता प्रकरण खरिज योग्य है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी